कार्यालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर(राज0)

सहायता अनुभाग रूम नं 12 कलक्ट्रेट सभा
email Id- oicreliefswm@gmail.com

क्रमांकः– सहा./बाढ़/क्षति.परि/2025/ 6036 **दिनांकः–03.12.2025**

प्रशासनिक स्वीकृति

मानसून वर्ष 2025 में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से सार्वजनिक निर्माण विभाग सवाई माधोपुर की क्षतिग्रस्त सडकें/पुलिया की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनस्थापना हेतु उपखण्ड स्तरीय समिति के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों व आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक एफ.8(8)आ.प्र. एवं सहा/बाढ/प्रस्ताव/2025/RAJKAJRef19017600 दिनांक 27.11.2025 के अनुसार बाढ से हुई क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत हेतु **कुल 37 कार्यो हेतु राशि 67.15 लाख रूपयें (अक्षरे रूपयें सड़सठ लाख पन्द्रह हजार मात्र)** की अनुमति प्रदान की गई है की पालना में निम्नांकित कार्यो की प्रशासनिक स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025–26 में बजट मद 2245–02–106–(08)–{01} के उपमद 21 से किया जावेगा।

1. सडकें:–

क्र. सं.	कार्य का नाम/सड़क का प्रकार/सडक की लंम्बाई	सड़क का वर्गीकरण VR/ NH /SH/ MDR/ OTHERS	कार्य का विवरण	सडक की कुल लम्बाई	एस.डी. आर.एफ. नोर्म्स के अनुसार राशि/कि.मी.	कुल अनुमानित राशि (लाखों में)	सार्वजनिक निर्माण विभाग सवाई माधोपुर उपखण्ड का नाम	कार्यकारी संस्था/ संस्था अधिकारी का नाम
1	बरोनी शिवाड आदलवाडा सवाई माधोपुर भूरी पहाडी कुडगांव एसएच–122 कि.मी. 15/500 से 26/0	SH	सड़क पर गहरे गड्डे, डामर व पेंच वर्क	10.50	1.00	10.50		
2	ईसरदा से चावड माता वाया सीतारामपुरा किमी 0/0 से 2/0	VR	सड़क पर गहरे गड्डे, डामर व पेंच वर्क	2.00	0.6	1.20		
3	चौकडी से रायपुर किमी 0/0 से 1/500	VR	सड़क पर गहरे गड्डे, डामर व पेंच वर्क	1.50	0.6	0.90		
4	सम्पर्क सड़क चौकडी कि.मी. 0/0से 4/75	VR	सड़क पर गहरे गड्डे, डामर व पेंच वर्क	4.75	0.6	2.85	उपखण्ड चौथ का बरवाडा	अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड द्वितीय
5	सम्पर्क सड़क पीपल्या कि.मी. 0/0 से 5/09	VR	सड़क पर गहरे गड्डे, डामर व पेंच वर्क	5.09	0.6	3.05		
6	सीतारामपुरा से शिवाड किमी 0/0 से 2/0	VR	सड़क पर गहरे गड्डे, डामर व पेंच वर्क	2.00	0.6	1.20		
7	ईसरदा से मण्डावर किमी 0/0 से 3/0	VR	सड़क पर गहरे गड्डे, डामर व पेंच वर्क	3.00	0.6	1.80		
8	सम्पर्क सड़क सोलपुर किमी 0/0 से 5/14	VR	सड़क पर गहरे गड्डे, डामर व पेंच वर्क	5.14	0.6	3.08		
9	सम्पर्क टेटरा किमी 0/0 से 5/0	VR	सड़क पर गहरे गड्डे,	5.00	0.6	3.00	उपखण्ड [illegible]	[illegible]

Validity unknown Signature valid
Digitally signed by [illegible] Ram
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.12.0[illegible] 15:22:34 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19148566
eSign 1.0

			डामर व पेंच					
10	दुमोदा से टोडरा किमी 0/0 से 2/0	VR	सड़क पर गहरे गड्डे, डामर व पेंच वर्क	2.00	0.6	1.20		
11	रवांजना चौड से रवांजना डूगर 0/0 से 5/500	VR	सड़क पर गहरे गड्डे, डामर व पेंच वर्क	5.50	0.6	3.30		
12	सम्पर्क सड़क जुवाड किमी 0/0 से 3/25	VR	सड़क पर गहरे गड्डे, डामर व पेंच वर्क	3.25	0.6	1.95		
13	एसएच–01 से मुई किमी 0/0 से 3/200	VR	सड़क पर गहरे गड्डे, डामर व पेंच वर्क	3.20	0.6	1.92		अभियंता सा.नि. वि. खण्ड द्वितीय
14	सम्पर्क सड़क जालपा खेडी किमी 0/0 से 2/50	VR	सड़क पर गहरे गड्डे, डामर व पेंच वर्क	2.50	0.6	1.50	माधोपुर	
15	एमडीआर–131 कर्मापुरा किमी 0/0 से 3/500	VR	सड़क पर गहरे गड्डे, डामर व पेंच वर्क	3.50	0.6	2.10		
16	रामपुरा से आकोदा किमी 0/0 से 2/0	VR	सड़क पर गहरे गड्डे, डामर व पेंच वर्क	2.00	0.6	1.20		
17	सम्पर्क सड़क किशनुपरा किमी 0/0से 1/300	VR	सड़क पर गहरे गड्डे, डामर व पेंच वर्क	1.30	0.6	0.78		
18	सम्पर्क सड़क आवंड किमी 0/0से 1/0	VR	सड़क पर गहरे गड्डे, डामर व पेंच वर्क	1.00	0.6	0.60		
19	भाडौती–मथुरा वायां गंगापुर–हिण्डौन बयाना–भरतपुर किमी 307/0 से 355/0 गंगापुर सिटी	SH	सड़क पर गहरे गड्डे, डामर व पेंच वर्क	4.00	1.00	4.00	उपखण्ड गंगापुर सिटी	अधिशाषी अभियंता सा.नि. वि. खण्ड गंगापुर सिटी
20	गंगापुर नादौती सिकन्दरा अपटू जिला सीमा (गंगापुर सिटी)	SH	सड़क पर गहरे गड्डे, डामर व पेंच वर्क	0.80	1.00	0.80		
21	गंगापुर–गावडी–शफीपुरा–बामनवास रोड़	MDR	सड़क पर गहरे गड्डे, डामर व पेंच वर्क	2.30	1.00	2.30		
22	सम्पर्क सड़क बाढ कोटरी	VR	सड़क पर गहरे गड्डे, डामर व पेंच वर्क	3.10	0.6	1.86		
23	सम्पर्क सड़क छावा से छावा की बगीची	VR	सड़क पर गहरे गड्डे, डामर व पेंच वर्क	4.60	0.6	2.76		

Validity unknownSignature valid
Digitally signed by K... Ram
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.12.0 5:22:34 IST
Reason: Approved

24	सम्पर्क सड़क कडी पट्टी	VR	सड़क पर गहरे गड्डे, डामर व पेंच वर्क	1.35	0.6	0.81		
25	अमरगढ से हरचन्दा की ढाणी	VR	सड़क पर गहरे गड्डे, डामर व पेंच वर्क	0.70	0.6	0.42		
26	अरनिय से माली ढाणी	VR	सड़क पर गहरे गड्डे, डामर व पेंच वर्क	2.30	0.6	1.38		
27	मच्छीपुरा (एसएच–1ए) से कुनकटा रोड वायां कोठी बाढ किशन की झोपडी (बाढ भावता)	VR	सड़क पर गहरे गड्डे, डामर व पेंच वर्क	3.00	0.6	1.80		
28	विदरख्या से धोन्धूपुरा	VR	सड़क पर गहरे गड्डे, डामर व पेंच वर्क	1.50	0.6	0.90		
29	सम्पर्क सड़क खेरला	VR	सड़क पर गहरे गड्डे, डामर व पेंच वर्क	2.50	0.6	1.50	सा.नि.वि. उपखण्ड वजीरपुर	अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड गंगापुर सिटी
30	सम्पर्क सड़क खरेरा	VR	सड़क पर गहरे गड्डे, डामर व पेंच वर्क	1.10	0.6	0.66		
31	सम्पर्क सड़क सैंगरपुरा	VR	सड़क पर गहरे गड्डे, डामर व पेंच वर्क	2.00	0.6	1.20		
32	लिंक रोड़ महानन्दपुर	VR	सड़क पर गहरे गड्डे, डामर व पेंच वर्क	2.25	0.6	1.35		
33	एसएच–1ए (ग्राम रायपुर) से खण्डीप, रेण्डायल रोड़ ओडीआर–18	VR	सड़क पर गहरे गड्डे, डामर व पेंच वर्क	1.10	0.6	0.66		
34	सम्पर्क सड़क कमलापुरा	VR	सड़क पर गहरे गड्डे, डामर व पेंच वर्क	1.35	0.6	0.81		
35	सम्पर्क सड़क छकडा से बैरवापुरा	VR	सड़क पर गहरे गड्डे, डामर व पेंच वर्क	1.00	0.6	0.60		
TOTAL				**98.18**		**65.95**		

1.पुलिया:–

क्र.सं.	कार्य का नाम/सड़क का प्रकार/सडक की लंम्बाई	सड़क का वर्गीकरण	कार्य का विवरण	पुलिया की संख्या	एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स के	कुल राशि	सार्वजनिक [illegible]	कार्य[illegible]

Validity unknownSignature valid
Digitally signed by [illegible] Ram
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2025.12.0[illegible] 15:22:34 IST
Reason: Approved
RajKaj Ref No.: 19148566
eSign 1.0

		VR/NH/SH/ MDR/ OTHERS			अनुसार राशि/कि.मी.	(लाखों में)	सवाई माधोपुर उपखण्ड का नाम	अधिकारी का नाम
1	सम्पर्क सड़क नन्दपुरा चैनेज 2/300 (भाई का नाला)	VR	सड़क पर गहरे गड्डे, डामर व पेंच वर्क	1	0.60	0.60	सा.नि.वि. उपखण्ड गंगापुर सिटी	अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड गंगापुर सिटी
2	सम्पर्क सड़क कडी गावडी 0/350	VR	सड़क पर गहरे गड्डे, डामर व पेंच वर्क	1	0.60	0.60		
योगः–				2		1.20		

1. स्वीकृत राशि का उपयोग सामान्य वित्तीय एवं लेखानियमों, सा.नि.वित्तीय एवं लेखा नियमों एस.डी.आर.एफ./एन.डी.आर.एफ. के दिशानिर्देशों तथा विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार किया जावेगा।
2. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूरी जिम्मेदारी होगी कि वे एस.डी.आर.एफ. में अनुमत कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करे।
3. स्वीकृत कार्यो को प्रारंभ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर –अंदर पूर्ण करना होगा।
4. यदि विभागीय बजट में संधारण एवं मरम्मत मद में कोई राशि उपलब्ध है तो उसके पूर्ण उपयोग के बाद ही एस.डी.आर.एफ. में स्वीकृत राशि का उपयोग किया जावेगा। उक्त आश्रय का प्रमाण पत्र इस कार्यालय को भिजवाया जावे।
5. कार्यो की तकनीकी स्वीकृति विभागीय नियमों के अनुसार जारी कर तकनीकी स्वीकृत एवं एस्टीमेंट व तकनीकी रिपोर्ट की एक प्रति 3 दिवस में इस कार्यालय को भिजवाई जावे।
6. स्वीकृत प्रस्तावों का भौतिक निरीक्षण उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा किये जाने के उपरांत ही कार्य प्रारंभ किये जावे, तकनीकी स्वीकृति के साथ उपखंड स्तरीय समिति की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इस कार्यालय को भिजवायी जावे।
7. तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत ही कार्य की वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी। कार्य वित्तीय स्वीकृति जारी होने के उपरांत ही प्रारंभ कराये जावे।
8. प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा प्रस्तावित होना आवश्यक है तथा रिपेयर वर्क का निरीक्षण भी उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा किये जाने के उपरांत ही भुगतान किया जावेगा।
9. स्वीकृत कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किये जाने है व आंवटित राशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना है
10. विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावे।
11. वे सडकें/पुलिया जो डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड के तहत आते है उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नही है।

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

क्रमांकः– सहा./बाढ़/क्षति.परि/2025/ 6037 – 6059
दिनांकः– 03.12.2025

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन सचिव आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर।
3. अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निमार्ण विभाग सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि तकनीकी स्वीकृति 3 दिवस में इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करे।
4. उप जिला कलेक्टर समस्त
5. तहसीलदार समस्त
6. जिला जनसम्पर्क अधिकारी सवाई माधोपुर।

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by K[illegible]a Ram
Designation : Coll[illegible] & District Magistrate
Date: 2025.12.0[illegible] 15:22:34 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
19148566
eSign 1.0

RajKaj Ref No.:
19148566
eSign 1.0

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by K[illegible]a Ram
Designation : Colle[illegible]r & District
Magistrate
Date: 2025.12.0[illegible]5:22:34 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांकःएफ.8(15)आ.प्र. एवं सहा./बाढ़/प्रस्ताव/2025/ जयपुर, दिनांक

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 197/2025–26

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़को/पुलों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनरूत्थान हेतु जिला कलक्टर, **सवाई माधोपुर** को निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

1. **सडक मरम्मत हेतुः–**

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ से क्षतिग्रस्त **सड़कों** की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनरूत्थान हेतु जिला कलक्टर, **सवाई माधोपुर** से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक 3724 दिनांक 03.10.2025 के आधार पर सा.नि.वि. खण्ड द्वितीय सवाई माधोपुर ब्लॉक चौथ का बरवाड़ा के 08 कार्य हेतु राशि रूपये 24.59 लाख, सा.नि.वि. खण्ड द्वितीय सवाई माधोपुर ब्लॉक सवाई माधोपुर के 10 कार्य हेतु राशि रूपये 17.55 लाख, सा.नि.वि. खण्ड गंगापुर सिटी ब्लॉक गंगापुर सिटी के 10 कार्य हेतु राशि रूपये 17.03 लाख एवं सा.नि.वि. खण्ड गंगापुर सिटी ब्लॉक वजीरपुर के 07 कार्य हेतु राशि रूपये 6.78 लाख **कुल 35 कार्यों हेतु राशि रूपयें 65.95 लाख (अक्षरे रूपये पैंसठ लाख पिचयानवें हजार मात्र)** की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तो के अध्यधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती हैः–

2. **पुलिया मरम्मत हेतुः–**

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ से क्षतिग्रस्त **पुलिया** की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनरूत्थान हेतु जिला कलक्टर, **सवाई माधोपुर** से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक 2715 दिनांक 29.08.2025 के आधार पर सा.नि.वि. खण्ड गंगापुर सिटी ब्लॉक गंगापुर सिटी के 02 कार्य हेतु राशि रूपये 1.20 लाख **कुल 02 कार्यों हेतु राशि रूपयें 1.20 लाख (अक्षरे रूपये एक लाख बीस हजार मात्र)** की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तो के अध्यधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती हैः–

3. **शर्ते**

कुल 35 सडक कार्यों हेतु राशि रूपयें 65.95 लाख व कुल 02 पुलिया कार्यों हेतु राशि 1.20 लाख, सडको व पुलों के कुल 37 कार्यो हेतु राशि रूपयें 67.15 लाख (अक्षरे रूपये सड़सठ लाख पन्द्रह हजार मात्र) की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्यधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती हैः–

1. विभाग द्वारा Per km की दर से राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार किया है अतः सा. नि.विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग सड़कों के Restoration पर न करें।
2. प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होने आवश्यक है।

RajKaj Ref No.:
19017600
eSign DSC

3. जिला कलेक्टर विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों के लिए बजट की मांग एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स अनुसार निर्धारित दर से गंणना किये जाने के उपरान्त ऑनलाईन विभाग से करें।
4. बजट सम्बन्धित कार्यकारी संस्था को न दिया जाकर जिला कलेक्टर स्तर से ही भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
5. वे सड़कें जो Defect LiabilityPeriod के तहत आती है, उनकी मरम्मत SDRF से देय नहीं है।
6. जिला कलेक्टर बजट की ऑन लाईन मांग किये जाने से पूर्व यह आश्वस्त कर लेवें कि बजट की मांग SDRF नोर्म्स के अन्तर्गत Ordinary Repair &Periodical Repair (15/20 प्रतिशत) के तहत अनुमत राशि से गणना करने के उपरान्त ही कुल राशि की मांग की जा रही है। राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सड़कों के Restoration हेतु विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश कमांक 16877134 दिनांक 30.07.2025 द्वारा गणना की जाये।
7. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
8. जिला कलेक्टर स्वीकृत कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ करावें तथा कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि तत्कालिक मरम्मत का उद्‌देश्य पूर्ण हो सके।
9. जिला कलेक्टर उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट भुगतान किये जाने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर लेवें कि कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही कराया गया है।
10. प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवाई जावे। क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधी से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

इस विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावे।

इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 में निम्नलिखित बजट मद से किया जायेगा :-

2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत
02- बाढ़, चक्रवात आदि।
106- खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना
(08)- (बाढ़ क्षेत्र में खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना)
[01]- [सडकों की मरम्मत एवं पुनःस्थापना]
21- अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेस) प्रतिबद्ध

(केन्द्रीय सहायता 75 प्रतिशत)
(राज्य निधि 25 प्रतिशत)

11. स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि व आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पाकालीन निविदाए आमत्रित कर कार्य कराऐ जा सकेगे।
12. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजनाके दिशा-निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।

13. निजी निक्षेप खाते से राशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार निर्दिष्ट प्रयोजन के लिये ही जावे। बैंक खाते में हस्तान्तरण या अन्य प्रकार से विनियोजित किये जाने हेतु राशि का निजी निक्षेप खाते से आहरण नहीं किया जावेगा।

14. निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जावें। अनुपयोगी राशि यदि कोई हो तो दिनांक 31.03.2026 तक राजकोष में जमा करवाई जावें।

15. कार्य पूर्ण करवाये जाने के पश्चात करवाये गये कार्यो का कार्य पूर्णताः प्रमाण–पत्र इस विभाग को प्रेषित करें।

16. व्यय के लेखे महालेखाकार कार्यालय एवं राज्य सरकार के निरीक्षण के लिये कार्यालय में अभिलेख सुरक्षित रखे जावें।

(शैफाली कुशवाहा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निमार्ण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, **सवाई माधोपुर** को प्रेषित कर लेख है कि **एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार आवश्यक बजट की गणना कर बजट की मांग विभाग से ऑनलाईन निर्धारित प्रारूप में करें तथा आपके द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति आवश्यक रूप से ऑनलाईन मांग के साथ अपलोड करावें।**
6. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर को बजट का आवंटन किये जाने हेतु।
7. मुख्य अभियन्ता, (सड़क) सार्वजनिक निमार्ण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. कोष कार्यालय, सवाई माधोपुर।

शासन उप सचिव

Document certified by SHEFALI KUSHWAHA
<shefalikushwaha04@gmail.com>

Digitally Signed by Shefali Kushwaha
Designation : Deputy Secretary To Government
Date :27-11-2025 12:21:31

RajKaj Ref No.: 19017600
eSign DSC